रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 2018/वैशाख 13, 1940
No. 286] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 2018/VAISAKHA 13, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2018

सा.का.नि. 422(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 229 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (यड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं –

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) है;

(ख) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं हैं और संहिता में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः संहिता में उनके हैं।

3. वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप – बोर्ड इन नियमों से संलग्न प्ररूप में पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान की अपने क्रियाकलापों, नीतियों और कार्यक्रमों का सही और पूरा लेखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

4. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय – बोर्ड, केंद्रीय सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर नियत दिवस के भीतर नियम 3 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति देगा।

वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

[नियम 3 देखें]

(क) अध्यक्ष का कथनः

(ख) पुनर्विलोकन का वर्ष:

(ग) निम्नलिखित के संबंध में बोर्ड की नीतियों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का सही और संपूर्ण लेखा -

(i) सेवा प्रदाताओं अर्थात् दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरण और सूचना उपयोगिताएं;

(ii) संव्यवहार अर्थात् कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट समापन, वैयक्तिक दिवाला समाधान और वैयक्तिक धन शोधन अक्षमता;

(iii) अधिवाचक और जागरूकता;

(iv) अनुसंधान।

(घ) बोर्ड के अर्द्ध विधायन, कार्यपालिका और न्यायिककल्प कृत्यों का पुनर्विलोकन।

(ङ) संव्यवहारों और संव्यवहार कार्यक्षमताओं के संबंध में परिणामों का विश्लेषण।

(च) संक्षिप्त डाटा – काल माला या सर्वविध प्रतिनिधान – ऐसे परिणामों के बारे में, जो संहिता और बोर्ड के कार्यों को बढावा देने में सुकर हो और अनुसंधान को बढावा दें जैसा सुसंगत और उपलब्ध हो।

(छ) साख बाजार में संहिता का प्रभाव, स्रोत पुनर्चक्रण और अर्थशास्त्र।

(ज) बोर्ड की प्रभावोत्पादकता और कार्य क्षमताओं का उसके उद्देश्यों और आदेश के संबंध में उसके स्रोतों, कर्त्तव्यों और शक्तियों का ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन।

(झ) शासी बोर्ड और आगामी वर्ष के लिए उसका दृष्टिकोण, नीतियां और कार्यक्रम की कार्यक्षमता का निर्धारण।

(ञ) बोर्ड की वित्तीय कार्यक्षमता का संक्षिप्त विवरण।

(ट) बोर्ड द्वारा कानूनी दायित्वों के साथ अनुपालन, यदि कोई हो, का विवरण और उसके कारण।

(ठ) संगठनात्मक मामले जिसमें मानव संसाधन, वित्त और लेखा, संपरीक्षा समिति, सूचना का अधिकार और पारदर्शिता भी सम्मिलित है।

(ड) ऐसे अन्य ब्यौरे जो पणधारियों को बोर्ड की कार्यक्षमता का पुनरीक्षण और मूल्यांकन करने में समर्थ बनाए।

[फा. सं. 30/13/2018-दिवाला]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2018

G.S.R. 422(E).—In exercise of the powers conferred by clause (zm) of sub-section (2) of section 239 read with sub-section (1) of section 229 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (No. 31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Annual Report) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

(I) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(b) words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

3. Form of Annual Report.- The Board shall prepare its annual report, giving a true and full accounts of its activities, policies and programmes, during the previous financial year in the Form annexed to these rules.

4. Time of furnishing of the Annual Report.- The Board shall submit a copy of the annual report referred to in rule 3 to the Central Government within ninety days of the end of the financial year.

Form of the Annual Report

[see rule 3]

(A) Chairperson's statement:

(B) The year in review:

(C) A true and full account of policies, programmes and activities of the Board in respect of-

(i) Service Providers, namely, Insolvency Professionals, Insolvency Professional Agencies, and Information Utilities:

(ii) Transactions, namely, Corporate Insolvency Resolution, Corporate Liquidation, Individual Insolvency Resolution and Individual Bankruptcy:

(iii) Advocacy and Awareness:

(iv) Research:

(D) A review of the quasi-legislative, executive and quasi-judicial functions of the Board:

(E) An analysis of outcomes in terms of transactions and transactional efficiencies:

(F) Summary data - time series or cross section - as may be relevant and available, about the outcomes that may facilitate appreciation of the working of the Code and the Board and promote research:

(G) Impact of the Code on credit market, resource recycling and the economy:

(H) An assessment of the effectiveness and the efficiency of the Board in terms of its objectives and mandate keeping in view its resources, duties and powers:

(I) An assessment of performance of the Governing Board and its vision, policies and programmes for the following year:

(J) A summary of financial performance of the Board;

(K) A statement of non-compliance, if any, with statutory obligations by the Board and the reason for the same;

(L) Organisational Matters, including Human Resources, Finance and Accounts, Audit Committee, Right to Information and Transparency:

(M) Such other details as would enable the stakeholders to review and appreciate the performance of the Board:

[F. No. 30/13/2018-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.